समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in

मो0–854442612
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

अमन समीर, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर–सह–अध्यक्ष, जिला आपूर्ति अनुकम्पा/चयन समिति, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज की बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरॉव से प्राप्त जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने हेतु अनुशंसा सहित आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर PDS Control Order 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में सर्वसम्मति से संबंधित मामलों में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. **श्री चन्देश्वर राम, पिता– स्व0 बृजलाल राम, ग्रा0– किरनी, पं0– कतिकनार, प्रखण्ड– केसठ, जिला–बक्सर** :– से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र व अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा पत्रांक 881/आ0 दिनांक 15.03.2021 द्वारा अनुशंसा के साथ प्राप्त कराया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्व0 बृजलाल राम के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री चन्देश्वर राम द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र में अचंलाधिकारी कार्यालय से निर्गत परिवारिक सूची, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी सदस्यों का अनापत्ति संबंधी शपथ पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र एवं परिवारों में किसी भी सदस्य का आटा चक्की नहीं होने संबंधित शपथ पत्र संलग्न है। **इस संबंध में चयन समिति द्वारा PDS Control Order 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव आवेदक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए, अद्यतन अनियोजन प्रमाण पत्र एवं जन प्रतिनिधि नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदक को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।**
2. **श्री राकेश कुमार पाण्डेय, पिता– स्व0 श्रीभगवान पाण्डेय, ग्रा0– भरखरा, पो0– ककरिया, थाना– धनसोई, प्रखण्ड– राजपुर, जिला–बक्सर** :– से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र व अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा पत्रांक 524 दिनांक 08.07.2021 द्वारा अनुशंसा के साथ प्राप्त कराया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्व0 श्रीभगवान पाण्डेय की मृत्यु की तिथि तक उनकी उम्र कितनी थी तथा आवेदक द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र, परिवारों में किसी भी सदस्य का आटा चक्की नहीं होने संबंधित शपथ पत्र एवं मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न नहीं होने के कारण चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी संबंधित कागजात पूर्ण कराते हुए चयन समिति की अगली बैठक में उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. **मजीद अंसारी, पिता– स्व0 हिसामुद्दीन अंसारी, ग्रा0– बुढाडिह, पं0– पलिया, प्रखण्ड– चौसा, जिला–बक्सर** :– से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र व अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा पत्रांक 524 दिनांक 08.07.2021 द्वारा अनुशंसा के साथ प्राप्त कराया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्व0 हिमासुद्दीन अंसारी की मृत्यु की तिथि तक उनकी उम्र कितनी थी तथा आवेदक द्वारा शपथ पत्र एवं परिवारों में किसी भी सदस्य का आटा चक्की नहीं होने संबंधित शपथ पत्र संलग्न नहीं होने के कारण चयन समिति द्वारा

सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी संबंधित कागजात पूर्ण कराते हुए चयन समिति की अगली बैठक में उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अनुकम्पा के आधार पर चयनित जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र व अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव द्वारा अनुशंसा के साथ भेजा गया है। सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि अचंलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली सहित सभी सदस्यों/संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का शपथ पत्र तथा आटा चक्की संबंधी शपथ पत्र अभिलेख में संलग्न है तथा अभिलेखों में सदस्यों का अनियोजन प्रमाण पत्र भी संलग्न है। इस संबंध में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी आवेदक/आवेदिका अपना अद्यतन अनियोजन प्रमाण पत्र एवं जन प्रतिनिधि नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र अपने संबंधित अनुमण्डल कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी संतुष्ट होकर उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव को निदेशित किया गया कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापनोपरान्त एवं उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता का FPS Code Aepds पोर्टल पर अपडेट होने के पश्चात् ही खाद्यान्न एवं किरासन तेल का आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में जो भी अनुकम्पा के मामले प्राप्त हो उसे 90 दिनों के अन्दर हर हाल में निष्पादन किया जाना है, जिसके लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक 15 दिनों के अन्दर संबंधित आवेदनों का जॉच कर अनुमण्डल कार्यालय में समर्पित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त आवेदनों को 30 दिनों के अन्दर अनुशंसा कर जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को प्रेषित करेंगे तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर उक्त आवेदनों का जाँचोपरान्त चेक लिस्ट तैयार कर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु 90 दिनों के अन्दर जिला चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

15.07.21	16/07/21	16/7/21	16/07/21	16.7.21	23.7.21	23/7/21
जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव	सचिव–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर	उप विकास आयुक्त, बक्सर	अध्यक्ष–सह–जिला पदाधिकारी

ज्ञापांक 04-770 /आ0, दिनांक 23/07/2021

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष एवं सचिव, फेयर प्राईस डीलर्स एसोशिएसन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक डुमरॉव अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि कार्यवाही को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–सचिव, जिला चयन समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, बक्सर/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.07.21	16/07/21	16/7/21	16/07/21	16.7.21	23.7.21	23/7/21
जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव	सचिव–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर	उप विकास आयुक्त, बक्सर	अध्यक्ष–सह–जिला पदाधिकारी